निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 317/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा सी स्कीम ब्रान्च जे–54/सी/सनराईज विल्डिंग, पृथ्वीराज रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स वर्तिका ओरनामेन्ट्स प्रा॰ लि॰
   डायरेक्टर श्री सुनील सोनी पुत्र श्री हरीश सोनी
2. श्रीमती ममता सोनी पत्नी श्री सुनील सोनी
   पता–प्लॉट नं॰ ए/5, शोप नं॰ बी/1, कोस रोड, माल सैटन्ट्रल स्पाईन, विद्याद्यर नगर, जयपुर।
3. श्री सुनील सोनी पुत्र श्री हरीश सोनी
4. श्री ममता सोनी पत्नी श्री सुनील सोनी
   पता–बी/143, गोविन्दपुरा, करधनी, कालवाड रोड, जयपुर।
5. श्री कान्ता देवी पत्नी श्री हरीष चन्द सोनी
   पता– 2/बी–42, शिव शक्ति कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री आशीष तिवाडी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री हुकम सिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश दिनांकः **22.02.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.12.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती कान्ता देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 2/बी–42 शिव शक्ति, कालोनी शास्त्रीनगर, जयपुर क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर एवं श्री सुनील सोनी के स्वामित्व की प्लाट नं॰ बी/143, गोविन्दपुरा, करधनी, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर को बन्धक रख कर होम लोन राशि 87,00,000/–रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री हुकम सिंह चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुये जबाब हेतु परिवाद की प्रति चाही है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की जारही कार्यवाही से न्याय हित में अप्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा सूचना पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है। सरफेशी एक्ट की धरा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अप्रार्थी को और अधिक समय नहीं दिया जा सकता ।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 87,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 90,21,028/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती कान्तादेवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं. 2/बी–42 शिव शक्ति, कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर एवं श्री सुनील सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं. बी/143, गोविन्दपुरा, करधनी, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर